न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई प्रथम, आर.ए.एस.

223RTA2018-051(GCMS2018-00131)

1. पारसमल पुत्र दीपचन्द जैन (महाजन)
2. सुरेश पुत्र पारसमल जैन (महाजन)
   निवासीगण ग्राम बेलवा, तहसील बालेसर
   जिला जोधपुर

--- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. नीतूकंवर पत्नी प्रतापसिंह ईन्दा (राजपूत)
2. आदूराम पुत्र मगनाराम सुथार
3. पूजाराम पुत्र मगनाराम सुथार
4. चैनाराम पुत्र मगनाराम सुथार
5. मूलीदेवी पत्नी मगनाराम सुथार
6. कुम्भाराम पुत्र सुखाराम सुथार
7. ईशाराम पुत्र सुखाराम सुथार
8. सांगाराम पुत्र सुखाराम सुथार
9. रावलराम पुत्र सुखाराम सुथार
10. मोहनराम पुत्र सुखाराम सुथार
11. देवाराम पुत्र सुखाराम सुथार
12. नराराम पुत्र उम्मेदाराम सुथार
13. सुरेश पुत्र उम्मेदाराम सुथार
14. इन्द्रदेवी पत्नी उम्मेदाराम सुथार
15. पूनाराम पुत्र गुमाराम उर्फ गुमानाराम सुथार
16. टीपूदेवी पत्नी गुमाराम उर्फ गुमानाराम सुथार
17. रामाराम पुत्र बाबूराम सुथार
18. मोगाराम पुत्र बाबूराम सुथार
19. हस्तीराम पुत्र बाबूराम सुथार
20. राखूदेवी पत्नी बाबूराम सुथार
21. कानाराम पुत्र जवाराराम सुथार
    सभी निवासीगण ग्राम बेलवा
    तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

--- रेस्पोडेण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर दिनांक 20 मार्च 2018 राजस्व वाद संख्या 17/2014 पारसमल व अन्य बनाम बाबूराम आदि

—— 0 ——

उपस्थित -

श्री एम.डी.बूब, अधिवक्ता अपीलांट्स

श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 व 21

नि र्ण य

दिनांक : 18 दिसम्बर 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2014 पारसमल व अन्य बनाम बाबूराम आदि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 20 मार्च 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 21 मई 2018 को पेश की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 900 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा वाके मौजा बेलवा के संबंध में प्रस्तुत किया। जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 25 जून 2014 स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिकी के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुत अपील संख्या 55/2015 बाबूराम व अन्य बनाम पारसमल आदि दिनांक 18 नवम्बर 2015 को आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। अदालत हाजा के उक्त निर्णय के अनुसरण में विचारण न्यायालय द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 08 फरवरी 2018 को प्रकरण निस्तारित करते हुए प्राथमिक डिकी जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये एवं विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 20 मार्च 2018 पारित किये गये। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिकी के अनुसरण में विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार संबंधित तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार नहीं किये गये, अपितु राजस्व निरीक्षक एवं पटववारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय में पेश किये गये है जो राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के बाद उसमें फेरबदल किया गया है और विभाजन प्रस्ताव के साथ बनाया गया नक्शा भी सेटलमेण्ट नक्शें एवं मौके की स्थिति के विरूद्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव बाबत पक्षकारान की आपत्तियॉ आमन्त्रित कर उनका निस्तारण किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी जारी कर दिये गयें। वादग्रस्त आराजियात तिंवरी जाने वाली सडक से चिपती हुई है और दोनों तरफ आबादी बस्ती होकर निर्माण हो रखे है, वादग्रस्त आराजी पर भी अतिकमण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हो रखा है, खसरा संख्या 900 की जमीन मौके पर 2 बीघा 08 बिस्वा पूरी नहीं है, रेस्पो. संख्या एक व उसके पति को सारी जानकारी होते हुए भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित होने के करीब चार माह पूर्व खरीद किया है और अपने प्रभाव का दुरूपयोग करते हुए गलत बंटवारा प्रस्ताव तैयार कराये है। अपीलाण्ट्स के पक्ष में वरिष्ठ सिविल न्यायालय जोधपुर द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी का समर्थन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिकी के अनुसरण में विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये, जिनके संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः होने से उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव (विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज 224 से 226) का अवलोकन करने पर किसी प्रकार का कोई फेरबदल अथवा कांट-छांट प्रकट नहीं होती है। स्वयं अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा भी आलौच्य अपील स्तर पर इस हेतु उठाये गये आक्षेप बाबत स्पष्ट नहीं किया गया कि किस प्रकार और कैसे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विभाजन प्रस्ताव में क्या फेरबदल किया गया और उसका अपीलाण्ट्स के निहित अधिकारों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव हुआ। इसी प्रकार विभाजन प्रस्ताव में बनाये गया नक्शा मौके की स्थिति एवं सेटलमेण्ट नक्शें से किस प्रकार भिन्न है, यह भी किसी ठोस एवं तर्कसंगत आधार पर स्पष्ट नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद उनके संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत किया जाना उपलब्ध अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 20 मार्च 2018 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव बाबत बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी जारी किये गये है।

इन परिस्थितियों में अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 20 मार्च 2018 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओम प्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

1. पारसमल पुत्र दीपचन्द जैन (महाजन)
2. सुरेश पुत्र पारसमल जैन (महाजन)
निवासीगण ग्राम बेलवा, तहसील बालेसर
जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पो.

1. नीतूकंवर पत्नी प्रतापसिंह ईन्दा (राजपूत)
2. आदूराम पुत्र मगनाराम सुथार
3. पूजाराम पुत्र मगनाराम सुथार
4. चैनाराम पुत्र मगनाराम सुथार
5. मूलीदेवी पत्नी मगनाराम सुथार
6. कुम्भाराम पुत्र सुखाराम सुथार
7. ईशाराम पुत्र सुखाराम सुथार
8. सांगाराम पुत्र सुखाराम सुथार
9. रावलराम पुत्र सुखाराम सुथार
10. मोहनराम पुत्र सुखाराम सुथार
11. देवाराम पुत्र सुखाराम सुथार
12. नराराम पुत्र उम्मेदाराम सुथार
13. सुरेश पुत्र उम्मेदाराम सुथार
14. इन्द्रदेवी पत्नी उम्मेदाराम सुथार
15. पूनाराम पुत्र गुमाराम उर्फ गुमानाराम सुथार
16. टीपूदेवी पत्नी गुमाराम उर्फ गुमानाराम सुथार
17. रामाराम पुत्र बाबूराम सुथार
18. मोगाराम पुत्र बाबूराम सुथार
19. हस्तीराम पुत्र बाबूराम सुथार
20. राखूदेवी पत्नी बाबूराम सुथार
21. कानाराम पुत्र जवाराराम सुथार
सभी निवासीगण ग्राम बेलवा
तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

20 मार्च 2018 राजस्व वाद संख्या 17/2014 पारसमल व
अन्य बनाम बाबूराम आदि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 18 दिसम्बर 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री एम.डी.बूब मिनजानिब अपीलाण्ट्स एवं अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 20 मार्च 2018 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये ------------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 18 दिसम्बर 2024 को जारी किया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकालतनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर